

<p>ख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र नम्बर - 48/2019 रामसिंह बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ: धारा 111 सपठित धारा 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>3.2021</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक श्री राजेश पूनिया व राज्य सरकार की ओर से श्रवण कुमार सैनी, जी0ए0 उपस्थित। प्रकरण में जवाब न देकर सीधे ही बहस करने पर अपनी सहमति जताते हुए बहस हेतु तैयार होने पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हाल ख.नं. 238 वाके ग्राम इण्डाली का आवेदक खातेदार है व फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांकित 30.06.2018 के मुताबिक चारों दिशाओं की पुख्ता सीमा चिन्ह वापस करने के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 को पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमाया जावे व खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के खर्चा वहन करने को तैयार है व बहस को समर्थन में आरआरडी 1968 पी-474 पेश किया जो शा0 रहे। वकील पैरोकार ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने प्रार्थना पत्र में व फर्द सीमाज्ञान में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। ग्राम इण्डाली स्थित कृषि भूमि ख.नं. 238 रकबा 1.41 हैक्टर की खातेदारी आवेदक के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी सीमाज्ञान दिनांक 30.06.2018 को किया जाना प्रस्तुत रिकॉर्ड में सिद्ध है। प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1968 पी-474 के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवा सकता है जो इस प्रकरण में चस्पा होती है। उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्राथमिक तौर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना पूर्णतया उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक बाबत करवाने पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाकर फर्द नपति दिनांक 30.06.2018 के अनुसार मौके पर आवेदक खातेदारी भूमि ख.नं. 238 के पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी में किसी भी खातेदार का रकबा कम या ज्यादा न होने की स्थिति में ख.नं. 238 रकबा 1.41 हैक्टर वाके ग्राम इण्डाली की पत्थरगढ़ी आवेदक के खर्चे पर करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश प्रति तहसीलदार झुन्झुनूं को पालना हेतु प्रेषित करने हेतु तहदीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	